न्यायालय :–प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अंजड़ जिला बड़वानी म.प्र.

क्रमांक|16/नजारत/25 अंजड़/दिनांक 03.06.2025

–// **नीलाम/विक्रय की शर्ते**//–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता हैं कि न्यायालय अंजड़ में निम्नानुसार आपराधिक प्रकरणों में पुराने वाहन जप्त होकर वाहनों का विक्रय खुली निलाम के माध्यम से किया जाना है :–

अ.क्र.	मुरनं	प्रकरण क्र.	संपत्ति विवरण	निर्धारित अपलेखन मुल्य
1–	215/03	125/03	राजदुत एम.के.एफ. 0454	4000/–
2–	370/05	654/05	राजदुत एम.पी.10 बी/3048	4000/–
3–	93/07	99/07	सुजुकी मैक्स एम.पी.11/2045	3200/–
4–	257/07	381/07	सुजुकी एम.पी.09 जे.एन./360	3200/–
5–	332/07	449/07	हिरोहोंडा पैशनप्रो. एम.पी.09/1147	10,000/–
6–	53/09	584/08	हिरोहोंडा पेशन एम.पी.45बी/6305	10,000/–
7–	199/13	52/13	बजाज डिस्कवर	6000/–
8–	216/13	420/12	पेशनप्लस एम.पी.09 एम.एन./1263	10,000/–
9–	324/19	37/19	1– हिरो एक्सप्रो.	10,000/–
			2– होंड़ा ड़ीमयोगा	15000/–

अतः इस निलाम/विक्रय की शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति उपरोक्त वाहनों को क्रय करना चाहता है, वह दिनांक **23.06.2025 से 25.06.2025** निलाम अवधि में सिविल न्यायालय परिसर अंजड़ में खुली निलामी में भाग ले सकता है। नीलाम/विक्रय से संबंधत अन्य जानकारी अथवा वाहन का भौतिक अवलोकन नायब नाजिर से नजारत अनुभाग न्यायालय अंजड़ में कार्यालयीन समय में संपर्क कर किया जा सकता हैं।

नीलाम/विक्रय की शर्ते –

01. वाहन विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक को जैसी स्थिति में हैं, उसी स्थिति में नीलाम/विक्रय किया जायेगा।

02. नीलामी विक्रय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतू भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि, उन्हें नीलाम/विक्रय की समस्त शर्ते स्वीकार हैं तथा नीलाम/विक्रय की शर्तो में बदलाव,आंशिक निरस्त अथवा पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग न्यायालय अंजड़ को होगा।

02. नीलाम/विक्रय कार्यवाही में भाग लेने वाले बोलीकर्ता व्दारा स्वंय का वैधानिक पहचान दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित अपलेखन मुल्य की 10 प्रतिशत राशि बोलीकर्ता को अमानत के रूप मे अग्रीम नीलामीकर्ता।न्यायालय कर्मचारी नायब नाजिर न्यायालय अंजड़ को जमा कराना होगी जो असफल होने पर बोलीकर्ता को अमानत राशि वापस की जावेगी तथा स्वीकृत बोलीकर्ता व्दारा अमानत के रूप मे अग्रीम जमा राशि नीलाम/विक्रय राशि में समायोजित की जावेगी।

03. बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 03 दिवस के अंदर बोली की सम्पुर्ण राशि का नियमानुसार ऑनलाईन ई–चालान के माध्यम से शासन हित में जमा कराना होगा चालान की स्वहस्ताक्षरित प्रति नजारत अनुभाग न्यायालय अंजड़ में जमा कर विक्रयशुदा वाहन स्वंय के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जा सकेगी।

04. नीलाम बोली अंतिम रूप से प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग न्यायालय अंजड़ व्दारा स्वीकृत की जावेगी तथा प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग न्यायालय अंजड़ को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें।

05. वाहन प्राप्ति के समय वाहन की वर्तमान नम्बर प्लेट नजारत अनुभाग न्यायालय अंजड़ में जमा की जावेगी तथा नीलाम/विक्रयशुदा वाहन का नीलामी में विक्रय किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग न्यायालय अंजड़ व्दारा जारी किया जावेगा।

06. सफल बोलीकर्ता व्दारा वाहन के नामांतरण, टैक्स जमा करना, बीमा कराना आदि समस्त कार्यवाही स्वंय को करना होगी, जिनका व्यय भार भी स्वंय वहन करना होगा, इस संबंध में मालखाना अनुभाग न्यायालय अंजड़ व्दारा किसी भी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्यायालयीन क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय अंजड़ का होगा।

07. उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की वेबसाईट https://barwani.dcourt.gov.in/ एवं जिला न्यायालय बड़वानी की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध हैं।

03/06/25

प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग एवं
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अंजड

प्रष्ठाकंन कमांक 117 / नजारत / 25 अंजड़ / दिनांक 06.2025

प्रतिलिपि :–

01. माननीय कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बड़वानी की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

02. आयुक्त जनसंपर्क, कार्यालय बड़वानी की ओर निःशुल्क प्रचार/प्रसार हेतू प्रेषित कर अनुरोध हैं कि नीलाम विज्ञापन के प्रकाशन की सूचना प्रकाशित अंक के साथ मालखाना अनुभाग न्यायालय अंजड़ को प्रेषित करें।

03. कार्यालय क्लेक्टर बड़वानी की ओर प्रेषित कर अनुरोध हैं कि सुचना समस्त सार्वजनिक स्थानों के सूचना पटल पर चस्पा कराये जाने हेतू प्रेषित।

04. नायब नाजिर नजारत अनुभाग न्यायालय अंजड़ की ओर प्रेषित कर लेख हैं कि नीलाम विज्ञापन की प्रति न्यायालय भवन के प्रवेश व्दार एवं सूचनापटल , तहसील कार्यालय अंजड/ठीकरी, नगरपरिषद अंजड़/ठीकरी आरक्षी केन्द्र अंजड़/ठीकरी के सूचनापटल पर तथा अंजड़ नगर के आम चौराहों/बसस्टैन्ड पर चस्पा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

05. असिस्टेंड सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग अंजड़ की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित हैं कि वाहनों की नीलामी की विज्ञप्ति ऑनलाईन प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।

प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग एवं
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अंजड